इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7904.50	351.77	8256.27	13911.99	388.01	14300.00	11443.49	276.46	11719.95	16180.36	368.68	16549.04
वसूलियां	*-137.62*	...	-137.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**7766.88**	**351.77**	**8118.65**	**13911.99**	**388.01**	**14300.00**	**11443.49**	**276.46**	**11719.95**	**16180.36**	**368.68**	**16549.04**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	94.38	...	94.38	109.82	...	109.82	140.00	...	140.00	112.40	27.60	140.00
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1140.19	213.24	1353.43	1192.00	258.00	1450.00	1316.99	146.46	1463.45	1339.13	188.13	1527.26
3. नियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	94.34	7.72	102.06	110.00	10.00	120.00	110.00	10.00	120.00	123.60	11.90	135.50
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	62.88	130.81	193.69	95.00	120.00	215.00	60.00	120.00	180.00	84.50	140.50	225.00
3.03 नियामक प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	4.55	...	4.55	9.00	...	9.00	11.00	...	11.00	12.45	0.55	13.00
जोड़- नियामक प्राधिकरण	*161.77*	*138.53*	*300.30*	*214.00*	*130.00*	*344.00*	*181.00*	*130.00*	*311.00*	*220.55*	*152.95*	*373.50*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1396.34**	**351.77**	**1748.11**	**1515.82**	**388.00**	**1903.82**	**1637.99**	**276.46**	**1914.45**	**1672.08**	**368.68**	**2040.76**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजीटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रानिक अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	285.73	...	285.73	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	530.74	...	530.74
4.02 ईएपी घटक	26.66	...	26.66	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
जोड़- इलेक्ट्रानिक अभिशासन	*312.39*	*...*	*312.39*	*525.00*	*...*	*525.00*	*525.00*	*...*	*525.00*	*555.74*	*...*	*555.74*
5. जनशक्ति विकास	272.26	...	272.26	350.00	...	350.00	250.00	...	250.00	...	...	...
6. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	500.00	...	500.00	650.00	...	650.00	485.25	...	485.25	352.00	...	352.00
7. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	1193.02	...	1193.02	2402.99	0.01	2403.00	1199.00	...	1199.00	700.00	...	700.00
8. इलैक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के बडे पैमाने हेतु पीएलआई	...	...	...	5300.00	...	5300.00	2203.00	...	2203.00	...	...	...
9. आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन	69.80	...	69.80	100.00	...	100.00	89.25	...	89.25	150.00	...	150.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	310.51	...	310.51	300.00	...	300.00	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00
11. आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास	502.04	...	502.04	598.17	...	598.17	365.00	...	365.00	600.00	...	600.00
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	...	...	...
13. डिजिटल भुगतान का संवर्धन	1044.34	...	1044.34	200.00	...	200.00	2137.00	...	2137.00	1500.00	...	1500.00
14. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
15. क्षमता निर्माण और कौशल विकास स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	537.50	...	537.50
जोड़-डिजीटल इंडिया कार्यक्रम	**4504.36**	**...**	**4504.36**	**10676.17**	**0.01**	**10676.18**	**7603.50**	**...**	**7603.50**	**4795.24**	**...**	**4795.24**
16. भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम												
16.01 भारत में कमपाउण्ड सेमिकन्डकर्स/सिलिकन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रेट सेमिकन्डक्टर फैब और सेमिकन्डक्टर एसेम्बली, परिक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी)/ आउटसोर्श सेमिकन्डक्टर एसेम्बली और परिक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं का निर्धारण के लिए आधुनिक योजना	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00	1799.92	...	1799.92
16.02 भारत में सेमिकन्डक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
16.03 भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04
16.04 सेमी-कन्डक्टर लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण, मोहाली	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04
16.05 आरेखण आधारित प्रोत्साहन योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
जोड़- भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*200.00*	*...*	*200.00*	*3000.00*	*...*	*3000.00*
17. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम												
17.01 बडे आधार पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4499.04	...	4499.04
17.02 आई टी हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधार पर प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	146.00	...	146.00
जोड़- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*4645.04*	*...*	*4645.04*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4504.36**	**...**	**4504.36**	**10676.17**	**0.01**	**10676.18**	**7803.50**	**...**	**7803.50**	**12440.28**	**...**	**12440.28**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
18. उन्नत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	217.00	...	217.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	270.00	...	270.00
19. सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट)	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
20. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	116.00	...	116.00	150.00	...	150.00	140.00	...	140.00	160.00	...	160.00
21. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई)	1564.80	...	1564.80	1110.00	...	1110.00	1110.00	...	1110.00	940.00	...	940.00
22. भाष्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	37.00	...	37.00	100.00	...	100.00	72.00	...	72.00	44.00	...	44.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
23. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)	...	...	...	...	...	...	320.00	...	320.00	533.00	...	533.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**1994.80**	**...**	**1994.80**	**1710.00**	**...**	**1710.00**	**1992.00**	**...**	**1992.00**	**2057.00**	**...**	**2057.00**
अन्य												
24. डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
25. वास्तविक वसूली	-137.62	...	-137.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-128.62**	**...**	**-128.62**	**10.00**	**...**	**10.00**	**10.00**	**...**	**10.00**	**11.00**	**...**	**11.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**1866.18**	**...**	**1866.18**	**1720.00**	**...**	**1720.00**	**2002.00**	**...**	**2002.00**	**2068.00**	**...**	**2068.00**
कुल जोड़	***7766.88***	***351.77***	***8118.65***	***13911.99***	***388.01***	***14300.00***	***11443.49***	***276.46***	***11719.95***	***16180.36***	***368.68***	***16549.04***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	4967.70	...	4967.70	10432.55	...	10432.55	8096.15	...	8096.15	12544.80	...	12544.80
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1234.38	...	1234.38	1301.82	...	1301.82	1456.99	...	1456.99	1451.53	...	1451.53
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1564.80	...	1564.80	1110.00	...	1110.00	1110.00	...	1110.00	940.00	...	940.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	138.53	138.53	...	130.01	130.01	...	130.00	130.00	...	152.95	152.95
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	213.24	213.24	...	258.00	258.00	...	146.46	146.46	...	215.73	215.73
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**7766.88**	**351.77**	**8118.65**	**12844.37**	**388.01**	**13232.38**	**10663.14**	**276.46**	**10939.60**	**14936.33**	**368.68**	**15305.01**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1067.62	...	1067.62	780.35	...	780.35	1244.03	...	1244.03
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1067.62**	**...**	**1067.62**	**780.35**	**...**	**780.35**	**1244.03**	**...**	**1244.03**
कुल जोड़	**7766.88**	**351.77**	**8118.65**	**13911.99**	**388.01**	**14300.00**	**11443.49**	**276.46**	**11719.95**	**16180.36**	**368.68**	**16549.04**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना संबंधी खर्च के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग और सेवाएं एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय एक संबद्ध कार्यालय है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और सरकार के लिए परीक्षण, अंशशोधन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन)** : आईटी अधिनियम 2000 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार (सर्ट-इन) को स्थापित किया गया है। सर्ट-इन साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार, सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, साइबर घटनाओं की रोकथाम, प्रत्योत्तर और रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा- निदेश, परामर्श निदेश, वलनेरेबिलिटी नोट और श्वेतपत्र जारी करने जैसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में विभिन्न कार्य करता है।

3.03. **नियामक प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए):** सीसीए प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 18 के तहत सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजियों के मानकों को बनाए रखने जाने तथा सीए के अन्य कार्यो को प्रमाणित करता है।

4. **इलेक्ट्रानिक अभिशासन:** व्यापक रूप में ई-गवर्नेंस का उद्देश्य है कि नागरिकों को विभिन्न मोड के माध्यम से एकीकृत और अंतर-प्रचलित प्रणालियों के माध्यम से उसके इलाके में सस्ती कीमत पर दक्षता, पारदर्शिता से सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से प्रदायगी सुनिश्चित करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है जिसके तहत नीतियों, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, परियोजना के विकास आदि के व्यापक क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यों की विभिन्न ई-शासन पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** इस योजना को देश भर में कई गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करने तथा ज्ञान संस्थानों से कनेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है।

7. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स):** सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इस आशय का एक शानदार प्रदर्शन है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 (एनपीई 2019) में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु देश में प्रमुख घटक विकसित करने और चिपसेट सहित उद्योग के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति की परिकल्पना की गयी है।

9. **आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ / आईटीईएस के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए और आईटी/ आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, आईटी के लिए नौकरियां स्तंभ के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईबीपीएस और आईबीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

10. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहलें शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

11. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक और तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और तकनीकी जानकारी तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम),उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम आसूचना, परसेप्शन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

13. **डिजिटल भुगतान का संवर्धन:** हमारे देश के प्रत्येक भाग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन को उच्चतम प्राथमिकता दी है। भारत के सभी नागरिकों को सुविधाजनक, आसान, किफायती त्वरित और सुरक्षित तरीके से बाधारहित डिजीटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य (विजन) है।

14. **चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:** इस योजना ने विकास को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने, रोजगार उत्पन्न करने, गुणवत्ता और मानकों में सुधार करने की क्षमता को साकार करने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस) 12 पहचानपाने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

15. **क्षमता निर्माण और कौशल विकास स्कीम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्र से उभरते अंतराल की पहचान करना और इन अंतरालों को पाटने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रम की आयोजना बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास शामिल है। इस योजना का पीएमजीडीआईएचएसए घटक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस उपकरणों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान हेतु , प्रशिक्षण प्रदान कर उनको सशक्त करने पर लक्षित है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागिता कर सकें।

16. **भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम:** आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढाने के लिए और भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइनिंग और विनिर्माण को वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम – ईएसडीएम को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका परिव्यय 76,000 करोड रुपये है। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई स्कीमें शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिलिकन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टरों, सिलिकन फोटोनिक्स, एमईएमएस सहित सेंसरों, फैबों, अलग अलग सेमीकंडक्टर फैबों, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, एटीएमपी या ओसैट और सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कंपनियों या कंपनी समूहों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करना है।

17. **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** दो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और क्रमशः मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 6% से 3% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत पांच साल की अवधि तक कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और आल-इन-वन पीसी के लिए पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 4% से 2% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत चार साल की अवधि तक कवर किया जाएगा।।

18. **उन्नत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में आर एंड डी निष्पादित करने के लिए एक प्रमुख आर एंड डी संगठन है। इसके 12 केंद्र हैं जो बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पटना, पूणे, सिलचर और तिरुवनंतपुरम में अवस्थित हैं। कुछ जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में, जहाँ सी-डैक वर्तमान में कार्य कर रहें हैं, उच्च निष्पादन, ग्रिड और क्लाउड कंप्यूटिंग (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित), बहुभाषी कंप्यूटिंग, पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स; सॉफ्टवेयर तकनीकों, साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक, स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल हैं।

19. **सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट):** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रहे एमईआईटीवाई का एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जेबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), अक्षय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित फोटोनिक्स और 2डी सामग्री शामिल हैं। सी-मेट अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (एसआईसी), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट

रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और आरओएचएस कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स मैटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्ट्यूएटर्स / सेंसर्स के लिए मल्टीलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मैटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

20. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में विशेष लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

21. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई):** सब्सिडीज के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के रूप में प्रदान करने के लिए, लाभ और सेवाएं, जिसके लिए भारत की संचित निधि/राज्यों की संचित निधि से व्यय किया जाता है, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना की गई है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन को आसान बनाने की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

22. **भाष्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी अन्तरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

23. **सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल):** यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहा है। यह हाइ-रेल बोर्डों, रेडियो साउंड सिस्टमों के विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उप –प्रणालियों के स्वदेशीकरण का भी कार्य कर रहा है।

24. **डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** यह एमईआईटीवाई के अंतर्गत सेक्शन 8 कम्पनी के रूप में गठन है, जो आम आदमी के लिए आजीविका सृजन, दिव्यांग सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण के क्षेत्र में आईसीटी समाधान के लाभों पर फोकस करती है।